

-::आदेश::-

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, के संचालक मंडल की 111 वीं बैठक दिनांक 22-1-2009 के अतिरिक्त प्रस्ताव कमांक-02 में पारित निर्णय के अनुपालन में आदेश कमांक/मंडी/01/नियम/विविध/10/99/753 दिनांक 09-12-1999 द्वारा आंचलिक उपसंचालकों तथा मंडी समितियों नवीन वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों में संशोधन कर संलग्न-परिशिष्ठ अनुसार अधिकार बजट की उपलब्धता, वित्तीय नियमों, राज्य शासन एवं बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों के अंतर्गत ही मंडी समिति द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे।

उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगे।

(विवेक अग्रवाल)-

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दिनांक 10/02/2009

कमांक/बी/3/1/लेखा/ 3263

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- 1- प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, म0प्र0शासन मंत्रालय, भोपाल ।
- 2- विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 3- निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 4- अपर संचालक(वित्त)/अपर संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 5- मुख्य अधियंता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 6- संयुक्त संचालक(समस्त)/अधीक्षण यंत्री(समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 7- उपसंचालक, कार्यपालन यंत्री(समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 8- अध्यक्ष/सचिव(समस्त) कृषि उपज मंडी समिति-प्रिल-को ओर पालनार्थ।
- 9- सहायक संचालक(समस्त)/लेखाधिकारी(लेखा/आडिट)/अनुभाग अधिकारी(समस्त) म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
- 10- पटल प्रभारी/समस्त शाखाओं की पालनार्थ।
- 11- आदेश नस्ती ।

प्रबंध संचालक

म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

10

२

कृषि उपज मण्डी समितियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों का संशोधित प्रत्यायोजन

अ. क्र.	पुस्तका का अनु.क्र.	अधिकार का नाम	प्रबंध संचालक/आयुक्त मण्डी	संभागीय उप संचालक	कृषि उपज मण्डी समिति	सचिव, मण्डी समिति	रिमार्क
01	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.
	(02)	भण्डार					
01.	21	स्टेशनरी सामग्री क्रय के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	रु. 25हजार तक एक समय में	अ. व के लिए 2000/- रूपये एवं स. द के लिए 1000/- रूपये एक बार में
02.	22	फार्म, रजिस्टर आदि मुद्रण कराने के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रूपये 2 लाख तक एक समय में	अ.ल.स.ड के लिए क्रमशः 1 लाख 50 हजार, 25 हजार एवं 15 हजार रूपये एक समय में	अ. व के लिए 5000/- रूपये एवं स. द के लिए 2500/- रूपये एक बार में
03.	25	डायरियों तथा कैलेण्डरों की खरीदी	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार			पूर्ण अधिकार	रूपये 1000/- प्रतिवर्ष
04.	26	नक्शों की खरीदी	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार			पूर्ण अधिकार	रूपये 1000/- प्रतिवर्ष

05.	32	फर्नीचर, कूलर, पंखे क्रय करने व अन्य मौसमी व्यय स्वीकृति के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रु. 25 हजार की सीमा तक प्रतिवर्ष	ब- 50 हजार ब- 35 हजार म- 25 हजार द- 10 हजार रूपये प्रतिवर्ष	भण्डार करने वालों के अनुसार एवं स्वीकृत वजट प्राप्तधान की सीमाओं के अनुसार
06.	33	भण्डार के लिए विविध सामग्री क्रय के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रु. 50 हजार तक एक वर्ष में	अब तर्ह 40 हजार एवं स.ह 25 हजार रूपये प्रतिवर्ष	भण्डार करने वालों के अनुसार एवं स्वीकृत वजट प्राप्तधान की सीमा के अधीन
07.	34	पारदर्शक तथा कम्प्यूटर स्टेशनरी क्रय की स्वीकृति	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रु. 50 हजार व्यय सीमा तक पूर्ण अधिकार	रु. 25 हजार वार्षिक व्यय सीमा तक पूर्ण अधिकार रापक व्यय सीमा तक	भण्डार करने वालों के नियमानुसार एवं वजट प्राप्तधान करने वालों तक
3. निर्माण							
08.	36	मण्डी परिसर में छोटे-मोटे निर्माण कार्य करना।	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार			रु. 1.00 लाख तक वार्षिक व्यय सीमा तक पूर्ण अधिकार	
(04) मरीनरी एवं उपकरण							
09.	44	धर्मकांटा क्रय की स्वीकृति	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार			कुपरस्थापना की आचलक कार्यालय की अनुशंसा
10.	45 बी	रेलेन्ट्रलिक तौलकांटा	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार			
11.	46 बी	जनरेटर मरम्मत	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रु. 25 हजार वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार	अब के लिए रूपये 5 हजार एवं म.द के लिए पूर्ण अधिकार	भण्डार करने वालों के नियमानुसार एवं वजट प्राप्तधान की अनुशंसा

12.	50	वाहन एवं मशीनरी किराए पर लेने के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रु. 50 हजार वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार	रु. 25 हजार वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार	अखेल, एवं द के लिए क्रमशः रुपये 5000, 4000, 3000, 2000/- वार्षिक व्यय रोपण तक	म.प्र.वित्तीय संसदीय भाग-2 के पारि. क्र. 6171 अनुमति अल्पावधिशासन 1993 परिवर्थितयों में ही वाहन किराए पर लिया जाए कि नियमित कायलिय उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा जारी नियंत्रण के अनुसार
13.	51	वाहन के टायर ट्यूब, बैटरी, पेट्रोल, आईल क्रय करने का अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	-	-	पूर्ण अधिकार	रु. 5 हजार तक एक समय में	वित्तीय अधिकार पुस्तक 1993 खंड 3 सरल क्रमांक 16 परिवहन विभाग ज्ञाप क्रमांक/22- 26-92 /आठ दि. 11.06.93 तथा बजट प्रावधान सीमा के अधीन।
14.	52	वाहन मरम्मत के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	-	विहित सीमा से 50/- प्रतिशत अधिक तक अधिकार	निर्धारित सीमा के भीतर पूर्ण अधिकार	रुपये 2000/- प्रति वाहन एक वर्ष में।	बजट प्रावधान तथा राज्य शासन द्वारा नियमित प्रावधान के अनुसार
(6) विविध								
15.	55	आहरण एवं वितरण के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	-	-	-	सचिव एवं लेखापाल के संयुक्त हस्ताक्षर से पूर्ण अधिकार	अध्यक्ष/भाग्याधिक अधिकारी एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से
16.	57	ऐसे कानूनी वादों के लिए अग्रिम जिनमें मण्डी समिति एक पक्षकार हो	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	-	-	पूर्ण अधिकार	अ. व 10000/- एवं स. द 5000/- रुपये एक समय में।	नियमों के प्रकल्प का आठ दि. म.प्र.वित्तीय संसदीय वाय-1 विभाग 274 के अनुसार उन समय-समय पर दोड जाए जाएं नियंत्रण सुरक्षा

17.	60	राज्यसभा खाते पर विविध नियमों का भूत्ता	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार				पूर्ण अधिकार	व्रशत क्रय नियमों का पालन किया गया हो तथा म.प्र.वित्तीय सहित भाग-2 के परिणाम 6(63)
18.	67	कम्पटटर, फैब्रिस मशीन, इंटरकॉम तथा पी.ए.ओ. एक्सेस के मरम्मत की स्वीकृति	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	20000/- रुपये तक एक वर्ष में।	10000/- रुपये तक एक वर्ष में।	5000/- रुपये तक एक वर्ष में	वजट प्रावधान की सीमा तक एवं भण्डार क्रय नियमों का पालन करने की शर्त पर
19.	69	मंडी भारीसी के कार्य हेतु बैठक व चर्चा हेतु व्यवितरणों के लिए स्वागत/बैठक व्यय, रवानाओं व्यय की स्वीकृति के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	25000/- रुपये वार्षिक व्यय सीमा	रुपये 5000/- तक एक समय में	रुपये 2000/- तक एक समय में।	राज्यसभा द्वारा वित्तीय नियमों की शर्तों का पालन करने की शर्त पर
20.	71	फर्नीचर भी मरम्मत की मंजूरी	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार		अ.व. 30हजार रुपये एवं स.द. 20हजार रुपये वार्षिक व्यय सीमा तक	अ. व.-10000/- रुपये एवं स. द. 5000/- रुपये वार्षिक व्यय सीमा तक	वजट प्रावधान, आवश्यकता व औचित्य प्रतियोगिता के तहत म.प्र. वित्तीय अधिकार भाग-2 के परिणाम 6 के पैमा 27 अनुमति।
21.	73	आकारानुक (विविध व्यय) की स्वीकृति के अधिकार	संशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	रुपये 25000/- रुपये वार्षिक व्यय की सीमा तक	रु. 2000/- वार्षिक व्यय की स्वीकृति के अधिकार	अ. व.-10000/- रुपये एवं स. द. 5000/- रुपये वार्षिक व्यय सीमा तक भण्डार क्रय नियमों व बोर्ड/राज्यसभा निर्देशां के पालन की शर्त पर	

22.	74	अनुपयोगी सामग्री अपलेखन व विक्रय के अधिकार	सशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	25000/- रूपये वार्षिक व्यय की स्वीकृति के अधिकार	रु. 20000/- वार्षिक व्यय की सीमा तक	अ. ब. 10000/- रूपये एवं स. द. 5000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक	म.प्र.विलोक्य अंदूदा, भाग-1 के नियम 22 से 28 तथा 141 में उल्लेखित नियमों के अनुसार
23.	84	औजारों, गौण उपकरणों तथा मानचित्रों के क्रय की मंजूरी	सशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	10000/- रूपये वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार	5000/- रूपये वार्षिक व्यय की सीमा तक पूर्ण अधिकार	अ. ब. 2000/- रूपये एवं स. द. 1000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक	भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए।
24.	89	टेलीफोन यंत्र के सुधारं की स्वीकृति	सशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	-	-	पूर्ण अधिकार	रूपये 500/- तक एक समय में	भण्डार क्रय नियमों का पालन करने की रात पर।
25.	90	मृत स्कन्ध की अन्य वस्तुओं, जिसमें सर्वेक्षण साचित्र तथा उपकरण शामिल हैं, को क्रय की मंजूरी देना	सशोधित प्रत्यायोजित अधिकार	पूर्ण अधिकार	10000/- रूपये एक वर्ष में	रूपये 5000/- एक वर्ष में	अ. ब. 2000/- रूपये एवं स. द. 1000/- रूपये वार्षिक व्यय सीमा तक	क्रय की अधिकृत प्रतिपादन की रात पर म.प्र.विलीय संहिता भाग-2 के परिशास्थ 6(40) (41) अनुसार

कृषि उपज मण्डो समितियों को वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के प्रत्यायोजन संबंधी पुस्तकों के पृष्ठ नं. 42 अनुक्रमांक 20 अ. पृष्ठ क्रमांक 46 अनुक्रमांक 35, पृष्ठ क्रमांक 48 अनुक्रमांक 39 एवं 43, पृष्ठ क्रमांक 56 अनुक्रमांक 63, पृष्ठ क्रमांक 58 अनुक्रमांक 91 को अप्रासांगिक होने के कारण विलोपित किया जाता है।

अपर सचालक

म.प्र.राज्य कृषि विषयक बाई
भोपाल